संख्या–15/44/74–का–4–2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों में आबद्ध किये जाने वाले पर्यवेक्षकों/पेपर सेटर्स/विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या–01/अतिगोपन–1/पारिश्रमिक/97–98, दिनांक 12.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15.05.2013 के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक की दरों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I–पर्यवेक्षकों आदि से संबंधित दरें

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक की दरें
1.	समन्वयी पर्यवेक्षक	रू.1500.00 प्रतिदिन
2.	सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक	रू.945.00 प्रतिदिन
3.	पर्यवेक्षक	रू.945.00 प्रतिदिन
4.	अति. पर्यवेक्षक	रू.945.00 प्रतिदिन
5.	सहायक पर्यवेक्षक	रू.750.00 प्रतिदिन
6.	अन्तरीक्षक	रू.600.00 प्रतिदिन
7.	लिपिक	रू.510.00 प्रतिदिन
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू.225.00 प्रतिदिन

II–विशेषज्ञों से संबंधित दरें

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक की दरें
1.	पेपर सेटर्स	रू.2250.00 प्रति प्रश्न पत्र
2.	माडरेटर्स	रू.1500.00 प्रति प्रश्न पत्र
3.	परीक्षक	सामान्य अध्ययन तथा इंजीनियरिंग विषय से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं जिनमें एक दिन में अधिकतम 35 उत्तर पुस्तिकाएं हों, के सम्बन्ध में रू.1500.00 प्रतिदिन तथा रू. 60.00 प्रति उत्तर पुस्तिका। किसी प्रश्नपत्र/विषय के सम्बन्ध में एक दिन में 35 से कम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने की दशा में न्यूनतम कुल धनराशि रू. 2500.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए. (केन्द्रीय मूल्यांकन की स्थिति में)

4.	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये विशेषज्ञ	रू.2250.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
5.	इलाहाबाद स्थित आयोग कार्यालय में पेपर सेटर्स/समीक्षकों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए	रू.2250.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
6.	इलाहाबाद स्थित आयोग कार्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन में आमंत्रित मुख्य परीक्षकों /प्रादर्श उत्तर निर्माताओं हेतु	रू.2250.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
7.	प्रश्नांश लेखक (आइटम राइटर्स)	(1) रू.45.00 प्रति आइटम, रू. 90.00 प्रति अनुमोदित आइटम। (2) आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर आइटम तैयार करने की स्थिति में रू. 1500.00 प्रतिदिन तथा रू. 45.00 प्रति आइटम व रू. 90.00 प्रति अनुमोदित आइटम। इसके अतिरिक्त नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
8.	स्कोरर्स	रू.1050.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
9.	कार्यशाला के अतिरिक्त अन्य गोपनीय कार्यों से आयोग कार्यालय में आमंत्रित किये जाने वाले विशेषज्ञों/त्रुटि निवारक परीक्षकों हेतु	रू.1688.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.

2. अनुरोध है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों में उपर्युक्त दरों पर पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान करने का कष्ट करें।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1096/दस/2017, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–15/44/74(1)–का–4–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव